

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

केवलचंद मीना पुत्र श्रीकिशन मीना, निवासी परमेश्वर नगर, प्रभु की बगिया के सामने,
मसूदा रोड, ब्यावर, जिला अजमेर राज. - अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली - प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक-02.03.2021

1. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ है।
2. अपीलार्थी को दिनांक 24.02.2021, 02.03.2021 को बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
4. अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर चारागाह भूमि खसरा नंबर 783 ग्राम आखावाड़ा, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली पर अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का को मोबाइल पर की शिकायत पर हुई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी ने पत्रांक-सू.अ.अ./2021/82 दिनांक 12.02.2021 से अवगत करवाया है कि प्रकरण में चाही गई सूचना का संबंध तहसीलदार टोड़ाभीम से होने के कारण अपीलार्थी का आवेदन पत्र आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 6(3) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोड़ाभीम को निर्धारित समय अवधि में अंतरित कर दिया था।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोड़ाभीम ने पत्र क्रमांक-सू.अ.अ./2021/28 दिनांक 24.02.2021 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके पत्र क्रमांक-न्याय/2020/25 दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। सूचना की प्रति संलग्न कर इस न्यायालय में प्रेषित की है।
8. प्रत्यर्थी राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोड़ाभीम द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है। बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी ना तो इस न्यायालय में उपस्थित हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार पेश किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
9. अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली